Paper-III
TDC-II(H)

POL. SCIENCE

Dr. S.B. Kumar

State Executive (राज्य कार्यपालिका)

(I.) Governor (राज्यपाल) (II) Chief Minister (मुख्यमंत्री)

केन्द्र की तरह राज्यों में भी कार्यपालिका अंग है जिसके अंतर्गत राज्यपाल, मंत्रिपरिषद तथा मुख्यमंत्री के पद आते हैं। संविधान के अनुसार सभी राज्यों की कार्यपालिका का एक प्रधान होता है जिसे राज्यपाल (Governor) कहते हैं। राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति उसी के हाथ में रहती है। राज्य की कार्यपालिका से संबद्ध सारे कार्य उसी के नाम पर होते हैं। संविधान के अनुसार राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग या तो स्वयं करता है अथवा अपने अधीनस्थ पदाधिकारी द्वारा।

भारत संघ के राज्यों में भी केन्द्र की तर्ज पर संसदीय शासन को अपनाया गया है। इस पद्धति के अंतर्गत राज्य का प्रधान केवल एक सांविधानिक प्रधान होता है। वास्तविक सत्ता तो मुख्यमंत्री (Chief Minister) एवं उनकी मंत्रिपरिषद (Council of Ministers) में निहित होती है और मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। अतः राज्यपाल की स्थिति कुछ वैसी ही है जैसा कि केन्द्र में राष्ट्रपति की है।

संविधान द्वारा राज्यपाल को जो अधिकार मिले हैं, उनका वास्तविक प्रयोग मंत्रिपरिषद द्वारा ही होता है क्योंकि संसदीय व्यवस्था में मंत्रिपरिषद का स्थान सर्वोपरि होता है। संविधान के अनु० 163 एवं 164 में कहा गया है कि राज्यपाल को अपने कार्यों के संपादन में सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होगी तथा राज्यपाल ही मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों को नियुक्त करेगा। मंत्रिपरिषद के सदस्य राज्यपाल के प्रसादपर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे और सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी रहेगी।

राज्यपाल :- नियुक्ति, अधिकार एवं कार्य →

भारत संघ की इकाइयाँ दो वर्गों में बंटी हैं- राज्य और केन्द्र शासित क्षेत्र। राज्यों की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। चूंकि, राज्य की कार्यपालिका संघीय कार्यपालिका की तरह संसदीय है, इसलिए

Scanned with CamScanner

राज्य में राज्यपाल केवल औपचारिक एवं नाममात्र की कार्यपालिका शक्ति है, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मुंत्रिपरिषद करती है।

नियुक्ति :- राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। व्यवहार में राज्यपाल की नियुक्ति केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ही की जाती है। कारण, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से ही करता है। राज्यपाल को नियुक्त करने से पूर्व संबद्ध राज्य के मुख्यमंत्री से भी परामर्श लिया जाता है। सामान्यतः, राज्यपाल की नियुक्ति पांच वर्षों के लिए होती है लेकिन राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करने के कारण पांच वर्ष से पहले भी इन्हें पद से हटाया जा सकता है अथवा स्वयं त्यागपत्र देकर पांच वर्ष से पूर्व भी ~~सम्भवतः~~ अपने पद से हट सकता है।

राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने के लिए संविधान ने कुछ योग्यताएँ भी निर्धारित की है। अनु० 157 के अनुसार राज्यपाल के पद पर वही नियुक्त हो सकता है जो भारत का नागरिक हो एवं 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अनु० 158 के अनुसार राज्यपाल संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता है।

अधिकार एवं कार्य – राज्यपाल राज्य का सांविधानिक अध्यक्ष है। इनके कार्यों एवं अधिकारों को निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत रखा जा सकता है –

1.) **प्रशासनिक शक्तियाँ** (Administrative Power) – संविधान के अनु० 154 के अनुसार राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। राज्यपाल राज्य के शासन कार्य के संचालन के लिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। अनु० 165 के अनुसार राज्यपाल को मंत्रियों को पदच्युत करने का भी अधिकार है। महाधिवक्ता, लोक सेवा आयोग के सदस्यों इत्यादि की भी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है।

2.) **विधायी शक्तियाँ** (Legislative Powers) – राज्यपाल को कतिपय विधायी शक्तियाँ भी प्राप्त है। वह विधान परिषद के कुछ सदस्यों को मनोनीत भी करता है। विधानमंडल के सत्र (Session) को आहूत करना, उसका सत्रावसान करना तथा आवश्यकता पड़ने पर विधान सभा का विघटन

Scanned with CamScanner

भी राज्यपाल करना है। वह प्रत्येक वर्ष विधान मंडल की प्रथम बैठक में भाषण देता है। राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होने के नाते कोई विधेयक तब तक कानून नहीं बनता जब तक उस पर राज्यपाल की स्वीकृति न मिल जाय। वह धन व वित्त विधेयकों को छोड़कर अन्य विधेयकों पर अपनी सहमति नहीं भी दे सकता है। विधान मंडल से पास विधेयकों को वह विचारार्थ विधानमंडल को लौटा सकता है।

3) वित्तीय शक्तियाँ (Financial Powers) – प्रत्येक वर्ष वित्तीय विवरण तैयार करवाना एवं उसे विधानमंडल के समक्ष रखवाना राज्यपाल का कार्य है। इसकी सिफारिश के बिना धन विधेयक विधान सभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। राज्यपाल की स्वीकृति के बिना राज्य के राजस्वों की कोई भी राशि व्यय नहीं की जा सकती। राज्य की आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का अधिकार होता है।

4) न्यायिक शक्तियाँ (Judicial Powers) – राज्यपाल को कुछ न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त है। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राज्यपाल का परामर्श लिया जाता है। वह दंडित अपराधियों को क्षमा अथवा उसके दंड में कमी या परिवर्तन कर सकता है, यदि उनका अपराध राज्य-सरकार के क्षेत्रांतर्गत हो।

5) स्वविवेकीय शक्तियाँ (Discretionary Powers) – कुछ मामलों में राज्यपाल को स्वविवेकीय शक्तियाँ भी प्राप्त है जो राष्ट्रपति के पास भी नहीं है। जब विधान सभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तब ऐसी स्थिति में राज्यपाल मुख्यमंत्री के चयन में स्वविवेक से निर्णय लेता है।

उपरोक्त अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वास्तव में राज्यपाल की सारी शक्तियाँ मंत्रिपरिषद की शक्तियाँ हैं। फिर भी, राज्यपाल अपने व्यक्तित्व, कार्यकुशलता, अनुभव आदि द्वारा मंत्रिपरिषद के निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। वह एक निष्पक्ष निर्णायक की भूमिका अदा करनी चाहिए लेकिन व्यवहार में अनेक राज्यपालों के ऊपर पक्षपातपूर्ण निर्णय लेने के आरोप लगते रहे हैं।

—x—

Scanned with CamScanner

परिचय के लिए कृपया 1 पृष्ठ 1 का अनुसरण करें।

मुख्यमंत्री (Chief Minister) :- नियुक्ति, अधिकार एवं कार्य

संविधान का अनु० 163 कहता है कि राज्यपाल को अपने संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन में सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री करेगा। संघ के शासन में जो स्थान भारत के प्रधानमंत्री का है, राज्य के शासन में वही स्थान मुख्यमंत्री का है। संविधान का अनु० 164 यह निर्देश देता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, लेकिन राज्यपाल का यह अधिकार अत्यधिक सीमित है। केवल वैसी स्थितियों को छोड़कर जबकि विधान सभा में किसी भी दल का स्पष्ट बहुमत न हो, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति में स्वविवेक से कार्य कर सकता है। राज्यपाल विधान सभा के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। चूँकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से ~~लोक~~ विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होती है, अतः राज्यपाल के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह विधानसभा के बहुमत दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करे।

मुख्यमंत्री के कार्यकाल के बारे में संविधान मौन है। व्यवहारतः ~~विधान सभा का कार्यकाल ही~~ के मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त व्यक्ति तब तक मुख्यमंत्री रहता है जबतक उसे सदन/विधान सभा का विश्वास मत हासिल रहता है। इस प्रकार एक बार में अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए मुख्यमंत्री रहा जा सकता है बशर्ते कि विधान सभा अपने नियत कार्यकाल (5 वर्ष) को पूरा करे। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री के यथानिर्दिष्ट कार्य निम्नलिखित हैं:

कार्य:- 1.) राज्य-कार्यों के शासन संबंधी मंत्रिपरिषद के समस्त विनिश्चय तथा कानून ~~के लि~~ निर्माण के लिए प्रस्थापनाएँ राज्यपाल को पहुँचाना।

2.) राज्य-कार्यों के प्रशासन संबंधी तथा विधान के लिए प्रस्थापना संबंधी जिस जानकारी की मांग राज्यपाल करे, उसे देना

3.) किसी विषय को जिस पर मंत्री ने निश्चय कर लिया हो, लेकिन मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया हो, राज्यपाल की अपेक्षा करने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखना।

Scanned with CamScanner

वास्तव में मुख्यमंत्री ही राज्य का वास्तविक शासक है। मुख्यमंत्री मंत्रि-परिषद का निर्माता है। वह राज्यपाल की औपचारिक स्वीकृति से मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण करता है। वह मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या आदि भी निश्चित करता है। उसे सभी विभागों की निगरानी एवं उनके बीच समंजस्य का व्यापक अधिकार है। मुख्यमंत्री विधान सभा का नेता भी होता है। वह विधेयक को पारित करने, धनराशि स्वीकृत करने आदि में व्यापक प्रभाव डालता है। वह राज्यपाल को विधान सभा विघटित करने का भी परामर्श दे सकता है। मुख्यमंत्री विधान मंडल का प्रमुख प्रवक्ता होता है और वह विधान सभा में सरकार की नीति एवं अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भाषण करता है। संविधान में ~~किसी~~ राज्य-पाल के जो प्रशासनिक कृत्य हैं का विवरण है, वास्तव में उसका इस्तेमाल मुख्यमंत्री ही करता है। प्रमुख पदाधिकारियों की नियुक्ति में मुख्यमंत्री का व्यापक प्रभाव रहता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों का सभापतित्व करता है। वह सरकार की नीति भी निर्धारित करता है। मंत्रिपरिषद के निर्णयों तथा शासन-संबंधी अन्य सूचनाओं की जानकारी राज्यपाल को देता है। इस प्रकार, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच संपर्क की कड़ी का काम करता है।

मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद रूपी टीम का कप्तान होता है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री संघीय मंत्रिपरिषद का प्राण है उसी प्रकार मुख्यमंत्री भी राज्य की मंत्रिपरिषद का प्राण है। मंत्रिपरिषद का निर्माण एवं जीवन उसी के हाथ में होता है। राज्य की सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति मुख्यमंत्री के हाथों में रहती है। एक तरफ वह मंत्रिपरिषद एवं राज्यपाल के बीच सेतु का कार्य करता है तो दूसरी तरफ मंत्रिपरिषद एवं विधान मंडल के बीच भी कड़ी का काम करता है। लेकिन विभिन्न विधान मंडलों की दलीय स्थिति, मंत्रियों में अनुशासन का अभाव, स्थायित्व एवं एकरूपता का अभाव, दल का आंतरिक विरोध, सांप्रदायिकता, प्रांतीयता आदि के कारण विधान मंडल गुटबंदी का अखाड़ा बना रहता है। गठबंधन सरकार की विवशता के कारण भी मुख्यमंत्री की स्थिति कमजोर हुई है।

—x—

Scanned with CamScanner